6

उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गाँधी मार्ग पर दिनांक 12-1-1984 को 10-30 बजे पूर्वाह्न में हुई उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की वर्ष-1984 की प्रथम बैठक का कार्यवृत्त

निम्नलिखित उपस्थित थे:-

(1) श्री श्याम सुरी	आवास आयुक्त	अध्यक्ष
(2) श्री राम पाल सिंह		सदस्य
(3) श्री मीर मज़हर अली		सदस्य
(4) श्री माता प्रसाद		सदस्य
(5) श्रीमती दीपा कौल		सदस्य
(6) श्री नोनिहाल सिंह		सदस्य
(7) श्री जे0पी0दुबे	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक	सदस्य
(8) श्रीमती मंजुलिका गौतम	विशेष सचिव, आवास (आवास सचिव के प्रतिनिधि)	सदस्य
(9) श्री आर0सी0मंगल	निदेशक, सी0बी0आर0आई0, रुड़की के प्रतिनिधि)	सदस्य
(10) श्री शिव कुमार शर्मा	प्रबन्ध निदेशक, जल निगम	सदस्य
(11) श्री प्रेम नारायन	संयुक्त सचिव, वित्त (वित्त सचिव के प्रतिनिधि)	सदस्य

बैठक में विचार-विमर्श के उपरान्त निम्न मदों पर सर्वसम्मति से निर्णय लिये गये:-

क्रमांक	विषय	संकल्प	निर्णय
1	2	3	4
1- दिनांक 11-11-83 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।		प्रथम/(1)/84	परिषद की दिनांक 11-11-83 को हुई बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गयी।
2- परिषद की बैठक दिनांक 11-11-83 के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या।		प्रथम/(2)/84	परिषद द्वारा दिनांक 11-11-83 को हुई बैठक में लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित आख्या की विस्तृत समीक्षा की गयी तथा सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गये:- 1- मुरादाबाद एवं अलीगढ़ में पुलिस कर्मियों द्वारा परिषद के आवासगृहों पर किये गये अनाधिकृत अतिक्रमण के सम्बन्ध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिये गये निर्णय की जानकारी आवास आयुक्त ने परिषद को करायी। निर्णय लिया गया कि उक्त बैठक में लिये गये निर्णयानुसार पुलिस कर्मियों में परिषद के आवास गृहों को शीघ्र खाली कराया जाय और इस बीच उनके द्वारा किये गये अनाधिकृत अध्यासन के संदर्भ में किराये की धनराशि वसूली की जाये। 2- परिषद की इन्दिरा नगर योजनान्तर्गत 80 मध्यम आय वर्ग एम0ए0/75 प्रकार के भवनों के प्राविधिक परीक्षण के संदर्भ में सार्वजनिक निर्माण विभाग के सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता के स्तर पर लम्बित कार्यवाही शीघ्र पूरी कराकर उनकी आख्या परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत की जाये।

1	2	3	4
			3- परिषद् द्वारा निर्मित कालोनीज् को स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में प्रत्येक कालोनी से सम्बन्धित विस्तृत तथ्यात्मक टिप्पणी परिषद के पूर्व निर्णयानुसार शीघ्र तैयार कराकर आवास आयुक्त/ अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत की जाये।
			4- रानीखेत में परिषद् की योजना चलाये जाने के सम्बन्ध में लिये गये पूर्व निर्णयानुसार आवास आयुक्त सेन्ट्रल कमान्ड के उच्चाधिकारियों तथा कैन्टोनमेंट बोर्ड के अध्यक्ष से संपर्क कर कैन्टोनमेंट बोर्ड के क्षेत्र के भीतर भूमि प्राप्त करने का प्रयास करें।
3- बीस सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति तथा परिषद के अन्य महत्वपूर्ण कार्यकलापों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुश्रवण समिति की आख्या पर विचार।	प्रथम/(3)/84		बीस सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति तथा परिषद के अन्य महत्वपूर्ण कार्यकलापों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुश्रवण समिति की आख्या पर विचार-विमर्श हुआ और निम्नलिखित निर्णय लिये गये:—
			1- वर्ष-1983-84 के लिये निर्धारित भूमि अर्जन के लक्ष्य के सम्बन्ध में अब तक हुई प्रगति की जानकारी परिषद को करायी गयी। परिषद को यह बताया गया कि कानपुर तथा वाराणसी में विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारियों की नियुक्तियाँ तो हो गयी हैं किन्तु सम्बन्धित रेकर्ड्स के हस्तान्तरण न होने के कारण तथा नियुक्त अधिकारियों के साथ सम्बद्ध सभी स्टाफ की नियुक्ति न होने के कारण यह अधिकारी भी प्रभावी ढंग से कार्य प्रारम्भ नहीं कर पाये हैं। निर्णय लिया गया कि नई योजनाओं के लिये अधिग्रहीत की जा रही भूमि का कब्जा शीघ्र प्राप्त करने का प्रयास किया जाये और साथ ही साथ कब्जा प्राप्त भूमि का अभिनिर्णय तैयार कराने एवं प्रतिकर बंटवाने का कार्य भी प्राथमिकता के आधार पर किया जाय ताकि अधिग्रहीत भूमि पर निर्माण एवं विकास कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराया जा सके।
			2- बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष-83-84 में 802.94 एकड़ भूमि पर विकास कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य परिषद द्वारा निर्धारित किया गया था जिसके विरुद्ध नवम्बर-83 तक 56 एकड़ भूमि पर विकास कार्य पूर्ण हो चुका है। 1191.96 एकड़ भूमि पर विकास कार्य प्रगति पर है। यह भी बताया गया कि ईंटों के उत्पादकों द्वारा हड़ताल किये जाने के कारण ईंटों की उपलब्धता माँग के अनुसार नहीं हो पा रही है और यदि इस संबंध में शासन स्तर से शीघ्र निर्णय नहीं होता है तो निर्धारित लक्ष्य के अनुसार विकास कार्य पूर्ण करना संभव नहीं हो पायेगा। विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि ईंटों की उपलब्धता के आधार पर वे विकास कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराये जायें जिससे पूर्ण किये गये भवनों का आवंटन शीघ्र किया जा सके। पर्याप्त मात्रा में ईंटें उपलब्ध होने पर नये क्षेत्र में विकास का कार्य किया जाये।
			3- 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत परिषद द्वारा पूर्व में 10500 दुर्बल आय वर्ग/ साइट एण्ड सर्विसेज़ इकाईयों को पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसे भूमि अध्याप्ति से सम्बन्धित कठिनाईयों के कारण परिषद की पिछली बैठक में पुनरीक्षित कर 8500 दुर्बल आय वर्ग/साइट एण्ड सर्विसेज के पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। बैठक के समय बताया गया कि कई योजनाओं की भूमि का प्रतिकर न बंटने एवं भूमि पर न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त होने के कारण निर्माण कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किया जा सका है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि यह सभी लक्ष्य पूर्ण भवनों का नहीं है। इनमें पूर्णतः एवं प्रगति पर दोनों प्रकार के भवन हैं।
			4-

यह भी बताया गया कि ईटों की उपलब्धता में कमी होने के कारण जो भवन प्रगति पर हैं उन्हें पूर्ण करना तथा जिस भूमि पर कोई विवाद नहीं है वहां पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने में कठिनाई हो रही है जिससे 8500 का पुनरीक्षित लक्ष्य की पूर्ति सम्भव नहीं हो सकेगी। भूमि सम्बन्धी कठिनाई एवं ईंटों की उपलब्धता की स्थिति को देखते हुये निर्णय लिया गया कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत इस वित्तीय वर्ष में अधिक से अधिक भवन पूर्ण करने अथवा प्रगति में लाने का प्रयास किया जाये तथा निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति में जो कमी रह जाये उसे अगले वित्तीय वर्ष के लक्ष्य में शामिल करके 83-84 के लक्ष्य निर्धारित किये जायें। यह भी निर्णय लिया गया कि अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता जिला प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों से अभी से संपर्क स्थापित करलें और यह सुनिश्चित करलें कि जिन योजनाओं में प्रतिकर न बंटने एवं भू-स्वामियों द्वारा प्रतिकर न लेने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका है उनमें पुलिस बल की सहायता से रबी की फसल के बाद तुरन्त निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया जाय। इस हेतु पुलिस बल प्राप्त करने के लिये अभी से तिथियाँ निर्धारित करली जायें और निर्धारित तिथियों को सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता भी कार्य स्थल पर उपलब्ध रहें। इस संदर्भ में अधीक्षण अभियन्ता एक निर्धारित समयबद्ध कार्यक्रम बनायेंगे और यदि पुलिस बल एवं जिला प्रशासन का सहयोग प्राप्त करने में कोई कठिनाई हो रही है तो इसकी सूचना मण्डल आयुक्त को देंगे।

4- परिषद की वर्ष-76-77 व 77-78 के धन विनियोजन सम्बन्धी अभिलेख उपलब्ध न होने के बारे में की गयी कार्यवाही की जानकारी परिषद को करायी गयी। निर्णय लिया गया कि जिन बैंकों से विवरण प्राप्त हो गये हैं उसी के आधार पर वर्ष-76-77 व 77-78 के बैंक समाधान का कार्य व बैलेन्सशीट बनाने का कार्य अप्रैल, 84 तक अवश्यमेव पूर्ण कर लिया जाये।

5- वित्तीय वर्ष-75-76 तथा 76-77 के पक्के चिट्ठे जिसका रूपान्तर हिन्दी में लिया जा चुका है उसे छपवाकर जनवरी-84 के अन्त तक विधान मण्डल के दोनों पटलों पर प्रस्तुत करने हेतु शासन को अवश्य भेज दिया जाये।

6- वर्ष -77-78 से 82-83 तक की बैलेंसशीट को अंतिम रूप देने के लिये जो समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित किया गया था उसकी प्रगति की जानकारी परिषद को करायी गयी। निर्णय लिया गया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक दशा में वर्ष-77-78 की बैलेंसशीट अप्रैल-84 के अन्त तक अवश्य तैयार करली जाये।

7- नगरवार आवंटित सम्पत्तियों की मार्च-82 तक के मूलधन एवं ब्याज की गणना की प्रगति का आंकलन किया गया। बैठक में बताया गया कि राजाजीपुरम की 500 सम्पत्तियों का विवरण अपूर्ण होने के कारण उनकी ब्याज एवं मूलधन की गणना मुख्यालय से नहीं की जा सकी एवं सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी, राजाजीपुरम सम्बन्धित अभिलेखों को पूर्ण कराकर उनके मूलधन एवं ब्याज की गणना अपने स्तर से करायेंगे।

निर्णय लिया गया कि इन्दिरानगर योजना से सम्बन्धित कार्य जो प्रगति पर है उसे प्रत्येक दशा में जनवरी, 84 तक पूर्ण करा लिया जाये और यह सुनिश्चित कराया जाये कि वित्तीय वर्ष-82-83 से सम्बन्धित मूलधन एवं ब्याज की गणना सभी सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय अभिलम्ब अपने स्तर पर करालें। इस सम्बन्ध में संक्षिप्त सूचना परिषद की अगली बैठक में रखी जाये।

1	2	3	4
4-	गुरु तेग बहादुर नगर योजना, इलाहाबाद में 7 नगर मध्यम आय वर्ग (एम०-3/79) एवं 3 नगर अल्प आय वर्ग) एल०-1/80 (प्रकार के भवनों का निर्माण)	प्रथम/(4)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
5-	रुद्रपुर गृहस्थान योजना रुद्रपुर में प्रथम स्वयं वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत उ०आ०व० 95/253 प्रकार के 8 भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में।	प्रथम/(5)/84	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
6-	सूरजकुण्ड योजना, गोरखपुर में 25 दुर्बल आय वर्ग के डब्लु०-3/79 प्रकार के भवनों का परिषद कक्ष से निर्माण।	प्रथम(6)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
7-	वि०नि०ई०-5, लखनऊ के कार्य क्षेत्र के अधीन वर्ष-81 में दि० 16-8-81 की रात्रि में 2.740 मे०टन स्टील की डकैती के फलस्वरूप परिषद को हुई वित्तीय क्षति रू० 14042.50 पैसे की धनराशि को बट्टे खाते में डालने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(7)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
8-	आवास आयुक्त द्वारा दी गयी भर्त्सनात्मक प्रविष्टि के विरुद्ध श्री एम०आर०खान, स० अभियन्ता द्वारा प्रेषित अपील दि० 28-9-83 की सुनवायी के प्रसंग में।	प्रथम/(8)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से अपील अस्वीकार की गयी। यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में परिषद के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत ऐसी सभी अपीलें परिषद के निम्नलिखित सदस्यों की गठित एक उप समिति में रखी जायेगी जो विस्तार से छानबीन कर अपनी आख्या परिषद की बैठक में प्रस्तुत करेगी। एतदर्थ गठित समिति के अध्यक्ष श्री जे०पी०दुबे, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ०प्र०, लखनऊ होंगे और श्रीमती मंजुलिका गौतम, विशेष सचिव, आवास सचिव के प्रतिनिधि एवं श्री प्रेम नारायण, संयुक्त सचिव, वित्त (वित्त सचिव के प्रतिनिधि) इसके सदस्य होंगे। परिषद के सचिव उक्त उप समिति के संयोजक होंगे।
9-	सिविल लाइन्स भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं०-2, रामपुर में प्रथम स्वयं वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत उ०आ०व०-95/253 प्रकार के 26 भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में।	प्रथम/(9)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
10-	इज्जतनगर योजना सं०-2 बरेली में प्रथम स्वयं वित्त पोषित परियोजना के अन्तर्गत उ०आ०व० एल०-1/79 प्रकार के 10 भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में।	प्रथम/(10)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
11-			

1	2	3	4
11-	जोधाबाई मेमोरियल भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, आगरा।	प्रथम/(11)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से जोधाबाई मेमोरियल भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, आगरा का परित्याग किया गया।
12-	हिल्टन लेन विस्तार योजना, लखनऊ का धारा-33 का प्रस्ताव।	प्रथम/(12)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान करते हुये निर्णय लिया गया कि यदि वांछित अतिरिक्त भूमि अधिग्रहीत कर नहीं मिलती है तो भवन 8 मंजिला ही बनाया जाये।
13-	उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद भूखण्डों तथा भवनों के पंजीकरण एवं प्रदेशन सम्बन्धी विनियम-1979 के विनियम 3 परिभाषायें(1)(घ) में एक अतिरिक्त पैरा जोड़ने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(13)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से इस संशोधन के साथ स्वीकृति प्रदान की गयी कि माध्यमिक विद्यालयों के साथ साथ उच्च स्तर के विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी यह सुविधा अनुमन्य कर दी जाये और तदनुसार विनियम-3 (1) में संशोधन किया जाये।
14-	विनियम-28(3) में संशोधन किया जाना।	प्रथम/(14)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
15-	विनियम-3(5) में पूलिंग के प्राविधान का संशोधन।	प्रथम/(15)/84	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
16-	परिषद में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी/वर्कचार्ज कर्मचारियों से असिस्टेन्ट ग्रेड-III वेतनमान रु० 360-550 के पदों पर चयन।	प्रथम/(16)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान करते हुये यह निर्णय लिया गया कि रिक्तियों की सूचना सेवायोजन कार्यालय को भी दे दी जाये और वहाँ से आवश्यक संख्या में नाम मंगाकर परीक्षायें आयोजित की जायें और चयन की प्रक्रिया संपन्न की जाये।
17-	उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद में कार्यरत विद्युत/यांत्रिक अभियन्ताओं को सिविल अभियन्ताओं के अनुरूप समान वित्तीय एवं प्राविधिक अधिकार प्रदान करने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(17)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान करते हुये यह निर्णय लिया गया कि विद्युतीकरण कार्य हेतु परिषद में कार्यरत विद्युत/यांत्रिक अभियन्ताओं को वही वित्तीय एवं प्राविधिक अधिकार प्रदान कर दिये जायें जो परिषद के सिविल अभियन्ताओं को प्राप्त हैं परन्तु विद्युतीकरण से सम्बन्धित कार्यों के प्रस्ताव एवं डिजाइनें इत्यादि का अनुमोदन अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी से प्राप्त करने के उपरान्त ही अधीनस्थ अधिकारी प्रदत्त वित्तीय एवं प्राविधिक अधिकारों का प्रयोग अपने अधिकार सीमा के अन्तर्गत करेंगे।
18-	परिषद के तकनीकी अधिकारियों द्वारा निर्माण एवं विकास कार्यों के लिये प्राविधिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	प्रथम/(18)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान करते हुये यह निर्णय लिया गया कि भवन निर्माण के सम्बन्ध में प्रत्येक टाइप डिजाइन का यूनिट प्राक्कलन तथा डिजाइन इत्यादि अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी से अनुमोदित होने के उपरान्त ही अधीनस्थ अधिकारी प्रदत्त वित्तीय एवं प्राविधिक अधिकारों का प्रयोग अपने अधिकार सीमा के अन्तर्गत करेंगे।
19-	लखनऊ में एक परिकल्पना वृत्त एवं लखनऊ तथा बरेली में एक एक परिकल्पना खण्ड के सृजन के सम्बन्ध में।	प्रथम/(19)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
20-			

1	2	3	4
20-	परिषद योजनाओं में वृक्षारोपण की प्रगति।	प्रथम/(20)/84	वृक्षारोपण की प्रगति की जानकारी परिषद को कराई गयी।
21-	परिषद योजनाओं में आवंटियों द्वारा भवन निर्माण/अतिरिक्त निर्माण कराये जाने पर भवन सामग्री संग्रह शुल्क तथा जल व्यय शुल्क लगाये जाने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(21)/84	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
22-	राजाजीपुरम योजना लखनऊ के सेक्टर-2 एवं 19 में क्रमश: 74 दुकानों 24 खुले चबूतरे एवं 44 दुकानों 8 खुले चबूतरों का निर्माण परिषद फण्ड से।	प्रथम/(22)/84	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
23-	चन्द्र शेखर आजाद नगर योजना, उन्नाव में 17 दुकानें एवं 2 कियास्क का परिषद फण्ड से निर्माण।	प्रथम/(23)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
24-	भवनों में अतिरिक्त निर्माण (विस्तार) हेतु मानचित्रों का विक्रय।	प्रथम/(24)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
25-	इन्दिरानगर द्वितीय विस्तार योजना-फैजाबाद मार्ग, लखनऊ।	प्रथम/(25)/84	परिषद ने विचार विमर्श के पश्चात सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
27-	देहरादून में राजपुर रोड पर ग्राम-जोहान में राजपुर रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-2, देहरादून की धारा-28 हेतु प्रस्ताव एवं प्राक्कलन।	प्रथम/(27)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
28-	विश्वनाथ रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-एफ-2 अल्मोड़ा का संशोधित धारा-28 का प्रस्ताव एवं प्रशासनिक प्राक्कलन।	प्रथम(28)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
29-	विश्वनाथ रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-3 अल्मोड़ा का संशोधित धारा-28 का प्रस्ताव एवं प्राथमिक प्राक्कलन।	प्रथम/(29)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
30-	सेण्टल स्कूल मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना आजमगढ़ का धारा-28 का प्रस्ताव।	प्रथम/(30)/84	परिषद ने सर्वसम्मति से विचार विमर्श के उपरान्त स्वीकृति प्रदान की।
31-	देहरादून रोड योजना सं0-1 का विस्तार भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना रुड़की की धारा-28 हेतु प्रस्ताव एवं प्राक्कलन।	प्रथम/(31)/	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

1	2	3	4
32-	इन्दिरा नगर तृतीय विस्तार योजना, फैजाबाद मार्ग, लखनऊ।	प्रथम/(32)/84	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
33-	वर्ष-1980 में परिषद के फिरोज गांधी नगर आवास योजना रायबरेली में निर्मित भवनों में व्याप्त अवरत्ताओं के आवास आयुक्त के आदेश सं0-1306/प्रशा0-एक दिनांक 14 जुलाई, 1983 व्दारा पारित दण्ड के विरुद्ध श्री बिहारी राय, सहायक अभियन्ता व्दारा दि0 7-10-83 को प्रेषित अपील की सुनवाई के प्रसंग में।	प्रथम/(33)/84	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि एतदर्थ गठित उप समिति के समक्ष इस अपील को रखा जाये और उसकी आख्या परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत की जाये।
34-	गोला गोकरन नाथ भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना के सम्बन्ध में।	प्रथम/(34)/84	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से परित्याग करने का निर्णय लिया गया।
35-	नेहरूनगर योजना सं0-1, देहरादून की कुटी ई-ई भूमि की धारा-28 का प्रस्ताव एवं प्राक्कलन।	प्रथम/(35)/84	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
36-	विश्वनाथ रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1, अल्मोड़ा की धारा-28 का प्रस्ताव एवं प्राक्कलन।	प्रथम/(36)/84	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
37-	हरिव्दार में कनखलरोड पर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना अन्धु गुरुकुल कनखल हरिव्दार की धारा-28 हेतु प्रस्ताव एवं प्राक्कलन।	प्रथम/(37)/84	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
38-	परिषद के तत्कालीन कार्यखण्ड-व्दितीय (अब वि0 नि0ख0-7) लखनऊ के अन्तर्गत स्थापित भण्डार-गृह से 564 बोरी सीमेंट की कमी के लिये उत्तर-दायी सहायक अभियन्ता के विरुद्ध आवास आयुक्त के आदेश सं0-1184/प्रशा0-एक दिनांक 7 जुलाई, 83 के व्दारा पारित दण्ड के विरुद्ध श्री बिहारी राय सहायक अभियन्ता की अपील की सुनवायी के प्रसंग में।	प्रथम/(38)/84	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि एतदर्थ गठित उप समिति के समक्ष इस अपील को रखा जाये और समिति की आख्या परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत की जाये।
39-	परिषद व्दारा अपने अधिकारियों/कर्मचारियों को किराया पद्धति पर आवंटित भवनों में अतिरिक्त सुविधायें प्रदान करने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(39)/84	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
40-	परिषद व्दारा संचालित योजनाओं के निर्माण एवं विकास कार्य के लिये अतिरिक्त वृत्त/खण्ड स्टाफ की स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(40)/84	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

1	2	3	4
41-	वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग का पुर्नगठन।	प्रथम/(41)/84	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
42-	गोण्डा गिर्द भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, गोण्डा में विकास कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।	प्रथम/(42)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
43-	परिषद योजनाओं में शिक्षण संस्थाओं तथा अन्य धार्मिक परोपकारी सार्वजनिक संस्थाओं में भूमि का मूल्य लिये जाने के विषय में।	प्रथम/(43)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान करते हुये निर्णय लिया गया कि यह सुविधा धार्मिक अस्पतालों को अनुमन्य न की जाये। यह भी निर्णय लिया गया कि भूमि का आधा मूल्य कब्जा लेने के पूर्व अवश्य प्राप्त कर लिया जाये और शेष मूल्य 4 वर्ष के भीतर 8 छ: माही किश्तों में वसूल किया जाये।
44-	गाज़ियाबाद हापुड़ मार्ग एवं हासना दिल्ली लाइन पास मध्य योजना सं0-1 गाज़ियाबाद (क्षेत्रफल 660 एकड़ अनुमानित लागत रू0 18.50 करोड़)	प्रथम/(44)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
45-	परिषद में दि0 1-6-81 के पश्चात् कार्यरत कार्य-प्रभारित कर्मचारियों के नियमितिकरण के संबंध में।	प्रथम/(45)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
46-	दोहरीघाट रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना-आज़मगढ़।	प्रथम/(46)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि अधिग्रहीत भूमि का स्वामित्व मूल भू-स्वामियों को उसी स्थिति में हस्तान्तरित किया जाये जब कि वह स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क वहन करने के लिये तैयार हों।
47-	मझोली भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-4 भाग-2 की धारा-28 हेतु प्रस्ताव एवं प्राक्कलन।	प्रथम/(47)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
48-	भरोली बज़ार भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, देवरिया।	प्रथम/(48)/84	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
49-	पैसार भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, सं0-2 बाराबंकी (क्षेत्रफल 127.00 एकड़)	प्रथम/(49)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से नियोजन समिति की संस्तुति का अनुमोदन किया गया।
50-	भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना (रामघाट रोड) अलीगढ़ की धारा-28 हेतु प्रस्ताव एवं प्राक्कलन।	प्रथम/(50)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
51-	भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1 टनकपुर की धारा-28 हेतु प्रस्ताव एवं प्राक्कलन।	प्रथम/(51)/84	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।

1	2	3	4
52-	सीतापुर शहर के पास कपूरथला भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, सीतापुर की धारा-28 के प्रस्ताव एवं प्राक्कलन के सम्बंध में।	प्रथम/(52)/84	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
53-	वि०नि०ईकाईयों को कार्यखण्डों में परिवर्तित करने हेतु परिषद के विचारार्थ व्याख्यात्मक टिप्पणी।	प्रथम/(53)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
54-	इन्दिरा नगर देहरादून में स्थित ऐसे भूखण्डों जिनको आवंटित हुये 10 वर्ष का समय पूर्ण हो चुका है पर भवन निर्माण हेतु समयवृद्धि के सम्बन्ध में।	प्रथम/(54)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
55-	इन्दिरानगर योजना के सेक्टर-5 में बाबा भूतनाथ आश्रम में बनी दुकानों की कम्पाउन्डिग फीस तथा परिषद योजनाओं में अधिग्रहण से मुक्त भूमि पर अनाधिकृत रूप से किये निर्माण के विषय में।	प्रथम/(55)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जिस भूमि पर बाबा भूतनाथ आश्रम द्वारा व्यवसायिक निर्माण किया गया है उसे परिषद की सम्पूर्ण योजना के भू-उपयोग के अनुसार आवासीय ही माना जाय और वर्तमान आवासीय दर रू० 150/= प्रति वर्गमीटर की दर से कुल 1960·125 वर्ग मीटर भूमि के उपयोग हेतु 294123·75 रू० कम्पाउन्डिंग फीस तथा रू० 1000 बिना स्वीकृति निर्माण करने के लिये अर्थात कुल रू० 2,95,123·75 (रुपया दो लाख पंचानबे हजार एक सौ तेइस पच्हत्तर पैसे) प्राप्त कर कम्पाउन्डिग कर दी जाये।
56-	उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद ऋण पत्र अष्टम श्रृंखला का निर्गत किया जाना।	प्रथम/(56)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
57-	प्रत्येक कार्यखण्ड/विभागीय निर्माण इकाई से एक एक मे०लि० तथा निम्न श्रेणी लिपिक के पद समर्पित किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(57)/84	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
58-	विद्युत खण्ड द्वितीय मेरठ के एक डीजल जीप/टेकर उपलब्ध कराने हेतु परिषद के लिये व्याख्यात्मक टिप्पणी।	प्रथम/(58)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
59-	परिषद की गाड़ियों के निष्प्रयोज्य घोषित करने के लिये परिषद की स्वीकृति हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणी।	प्रथम/(59)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

पुष्टि की गयी

अध्यक्ष
24.3.84